भारत में युवाओं की राजनीतिक अभिरुचि एवं सहभागिता का अध्ययन

प्रज्ञा पाराशर
शोधार्थी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ

सारांश

युवाओं की राजनीतिक अभिरुचि और सहभागिता का अर्थ किसी भी देश के युवाओं द्वारा किया गया वह व्यवहार है जिसके द्वारा राजनीतिक पटल को प्रभावित करने के प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही शासन को लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी बनाने का कार्य किया जाता है। इसे अभ्यास में लाने के पीछे राजनीतिक प्रेरणा कार्य करती है जो बहुत विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होती है। राजनीतिक भागीदारी का अर्थ केवल चुनाव के समय एक मतदाता के रूप में सक्रिय होने से कहीं अधिक है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत युवा तब भी भागीदारी निभाते हैं जब चुनाव संचालित नहीं भी हो रहा हो। यह एक निरंतर घटित होने वाली गतिशील प्रक्रिया है जो युवाओं की लोकतंत्र को लेकर सजगता पर निर्भर करती है। इसके लिए वे कई गतिविधियों जैसे सार्वजनिक सभाओं में भाग लेना, राजनीतिक संगठनों का गठन करना, वाद विवाद एवं विचार गोष्ठियों में भाग लेना, राजनीतिक दलों की सदस्यता लेना, उनके प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करना,उम्मीदवारों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना एवं आम लोगों को राजनीतिक नीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाना आदि को संचालित करते हैं। इनका स्वरुप व्यक्तिगत एवं सामूहिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह युवा की शक्ति एवं संसाधनों पर निर्भर करता है। यदि उसके पास पर्याप्त संसाधन एवं कौशल उपलब्ध है तो इस भागीदारी का रूप अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत में हमेशा से शासन द्वारा प्रयास भी किये गए हैं ताकि युवाओं को अधिकाधिक राजनीतिक भागीदारी करने का अवसर मिल सके। इन प्रयासों के फलस्वरूप युवाओं की राजनीतिक भागीदारी में प्रगति देखने को मिलती है क्यूंकि भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि युवाओं हमेशा ही राष्ट्र की उन्नति हेतु शासकीय स्तर पर अपनी सहभागिता के द्वारा निर्णायक भूमिका का वहन किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नही है कि युवाओं की राजनीतिक समझ में अन्य वर्गों की तुलना में काफी अंतर पाया जाता है क्यूंकि वे अद्यतन जानकारी को प्राप्त करने के लिया प्रयासरत रहते हैं परन्तु फिर भी ऐसी कई चुनौतियां मौजूद हैं जो युवाओं की भागीदारी के स्तर को प्रभावित करती हैं। इन चुनौतियों के निदान की महती आवश्यकता है ताकि युवा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ओर अग्रसर हो सके। युवाओं की राजनीतिक शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि वे अपनी राजनीतिक अभिरुचि का विस्तार कर सकें। उन्हें लोकतंत्र के सभी आयामों का ज्ञान हो ताकि उनके विचार किसी व्यक्ति या समूह के प्रति पूर्वाग्रह से प्रभावित ना हो अपितु समावेशी ओर सकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करते हों। अतः वैश्वीकरण के इस युग में जहां देश को प्रगति की दौड़ में आगे निकलना हो, उसके लिए युवा वर्ग की नवाचारी सोच का राजनीतिक स्तर पर प्रयोग करने के लिए उन्हे लोकतांत्रिक अवसर मिलें ताकि वे देश के विकास में अपना योगदान दे सके।

कूटशब्द – सहभागिता, अभिरुचि, लोकतंत्र, मतदान, वैश्वीकरण,सक्रियता, राजनीतिक शिक्षा,राजनीतिक उदासीनता

Published: 30 July 2026
DOI: https://doi.org/10.70558/SPIJSH.2026.v3.i7.45857
Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

युवा की राजनीतिक अभिरुचि एवं सहभागिता का अभिप्राय

युवा के स्वरुप का अध्ययन करने पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की अनुसार जो नागरिक 15 से 32 वर्ष की आयु को धारण करते हैं वे युवा की श्रेणी में आते हैं। अरस्तु युवाओं की राजनीतिक समाज में भूमिका के आधार पर परिभाषित करते हुए लिखते हैं "युवा समाज का वह वर्ग है जिसमें उत्साह, साहस और सार्वजानिक जीवन में भाग लेने की क्षमता होती है जो राज्य और राजनीति के भविष्य निर्माण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः युवाओं की राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों की सतत प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत युवा राजनीतिक मामलों पर अपना विचार विकसित करते है और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जैसे मतदान, सार्वजनिक पदों की प्राप्ति, राजनीतिक दलों की सदस्यता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक वाद विवादों में हिस्सा लेना आदि गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। इसका अर्थ है किसी देश के युवाओं द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर भाग लेने की प्रक्रिया को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। यह किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाती है चाहे वह परंपरागत व्यवस्था हो या आधुनिक लोकतान्त्रिक हो या सर्वाधिकारवादी अधिनायकवादी हो या सैन्य तंत्र कम या ज्यादा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में में इसकी मात्र पाई जाती है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सहभागिता के स्वरुप को अभिव्यक्त करते हुए विचारकों ने मत दिए हैं। हर्बर्ट के अनुसार "राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति की संलिप्तता से हैं जिसमें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से लेकर पद धारण तक हो सकता है इस प्रकार की भागीदारी का परिणाम अधिक भागीदारी की प्रेरणा ही बन सकता है।" बर्न्स और केंस के अनुसार "राजनीतिक सहभगिता निजी नागरिकों द्वारा की गयी वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जो राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक विकल्पों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए की जाती हैं।" मेथ्युज़ ने राजनीतिक सहभागिता को जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने से सम्बंधित सभी प्रकार के व्यवहार की संज्ञा दी है।अतः उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सहभागिता का सम्बन्ध उन सभी गतिविधियों से है जो युवा अपनी इच्छानुसार करता है एवं जिनके द्वारा अपनी राजनीतिक अभिरूचि को व्यावहारिक स्तर पर लेने एवं प्रयोग करने हेतु प्रयोग करता है।

मात्रा और सीमा के आधार पर यदि राजनीतिक सहभागिता के बिन्दुओं को देखे तो विचारक मिल्ब्रेथ ने राजनीतिक सहभागिता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है जिसमें प्रथम गतिविधि को वे दर्शक गतिविधि की संज्ञा देते है जिसके अनुसार नागरिक मात्र औपचारिक गतिविधियाँ जैसे मत देना, राजनीतिक गलियारों के वारे में अपनी राय व्यक्त करना, वार्तलाप करना,राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी विचारधारा को विकसित करना जैसे कार्य शामिल होते हैं। दूसरे स्तर पर उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल कियाहै। वही उन्होंने तीसरे स्तर पर अति सक्रिय गतिविधि जिसमे अनौपचारिक रूप से किसी दल की सदस्यता लेना तथा उस दल को को आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ देने का देने का प्रयास करना शामिल है। रश और अल्थोफ़ ने राजनीतिक सक्रियता मात्र के आधार एवं विस्तार के आधार पर राजनीतिक सहभागिता को क्रमबद्ध किया है। राजनीतिक संगठन का सक्रिय और निष्क्रिय सदस्य होना, अर्धराजनीतिक संगठन का सक्रिय निष्क्रिय सदस्य होना, सार्वजनिक सभा एवं प्रदर्शन में भाग लेना अनौपचारिक विचार विमर्श में भाग लेना, राजनीति में सामान्य अभिरुचि रखना, मतदान में भाग लेना राजनीति के प्रति उदासीनता भी होना शामिल करते हैं।

इसी प्रकार राजनीतिक अभिरुचि से अभिप्राय राजनीति से सम्बंधित मामलों से सरोकार होना एवं उनके प्रति जिज्ञासा का भाव होना ताकि उन सभी गतिविधियों से अन्तर्निहित कौशल का विकास किया जा सके। कैम्पवेल ने इसे नागरिकों की जिज्ञासा के सन्दर्भ में परिभाषित करते हुए लिखा है कि "यह वह मापन है जिसके अंतर्गत राजनीति

नागरिकों में जिज्ञासा पैदा करती है।" फिलिप कनवेर्स के अनुसार "राजनीतिक अभिरुचि व्यक्ति द्वारा निरंतर राजनीतिक मतों को निर्माण करने की योग्यता से है वह व्यक्ति की शैक्षिक एवं संज्ञानात्मक योग्यता से है जिसे वे आदर्शात्मक रूप में विचार में परिवर्तन कर देते हैं। "राजनीतिक अभिरुचि एवं सहभागिता दोनों प्रक्रिया एक दूसरे की पूरक हैं राजनीतिक अभिरुचि युवाओं की राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश की आरंभिक अवस्था है एवं राजनीतिक सहभागिता उसकी सर्वोत्तम एवं अंतिम अवस्था है। राजनीतिक अभिरुचि राजनीतिक सहभागिता हेतु प्रेरणा का काम करती है। राजनीतिक अभिरुचि के बिना युवा राजनीतिक सहभागिता के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब युवा राजनीतिक अभिरुचि के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेते हैं तब वह राजनीतिक भागीदारी में परिणित हो जाती है।

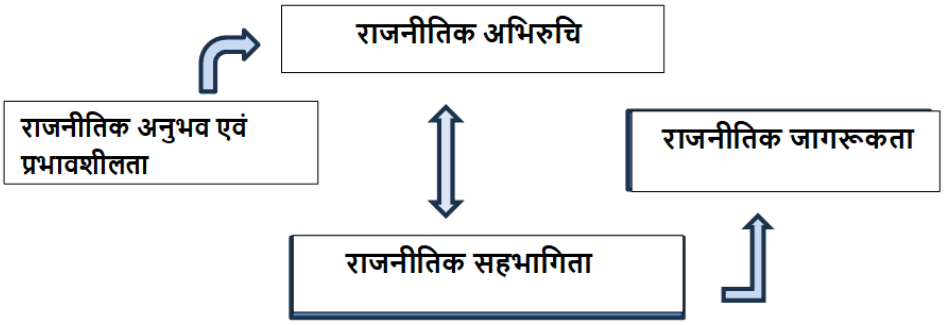

युवाओं की राजनीतिक अभिरुचि एवं सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारक

अभिरुचि एवं सहभागिता को प्रभावित करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। बर्बा,लॉ श्लोजमेन एवं ब्रेडी ने सहभागिता को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारक बताये हैं उनके अनुसार तीन संसाधन प्रमुख हैं।

- प्रथम संसाधन समय है जिन के पास राजनीतिक बैठकों में आना, चुनाव प्रचार करने एवं राजनीतिक गतिविधियों में सलिंप्त होने का पर्याप्त समय होता है वे ही राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक भाग ले पाते हैं।
- जिनके पास चुनावी चंदा देने के लिए,प्रचार सामग्री प्रदान करने के लिए, राजनीतिक दलों की सदस्यता लेने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होता है वे राजनीतिक स्तर पर सक्रिय होते हैं।
- जिनके पास बोलने की क्षमता, लेखन कौशल, संगठन के साथ कार्य करना एवं अपने विचार रखने का कौशल होता है वे राजनीतिक भागीदारी निभाते हैं।

इसके अतिरिक्त भी यह कई सारे घटकों पर निर्भर करता है जैसे कि युवाओं की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक जैसे आयु, लिंग, स्पर्धा, उपलब्धि, लगाव, धन का संचय, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्तर एवं उत्तरदायित्व की भावना, शिक्षा, व्यवसाय, गतिशीलता अधिवास आदि तत्व प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक परिवेश जैसे स्थानीय स्तर पर दलों के स्थानीय इकाइयों की शाखाएं एवं उनके द्वारा किये जा रहे राजनीतिक कार्यवाहियों का संचालन एवं प्रचार प्रक्रिया, सार्वजनिक सभाए, रैलियों का आयोजन एवं क्षेत्रीय दलों का प्रभाव आदि उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इसी तरह युवाओं का सामाजिक परिवेश जैसे परिवार, मित्र, विद्यालय, पड़ोस एवं जन संचार के माध्यम आदि उसकी भूमिका को निर्धारित करते हैं।

भारत में युवाओं की राजनीतिक अभिरुचि एवं सहभागिता का स्वरुप

भारत का युवा पारंपरिक रूप से अपनी भागीदारी के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करता आया है इन माध्यमों को दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है प्रथम परम्परागत माध्यम एवं गैर परम्परागत माध्यम हैं परम्परागत माध्यमों के अंतर्गत निम्न कारकों का अध्ययन किया जाता है –

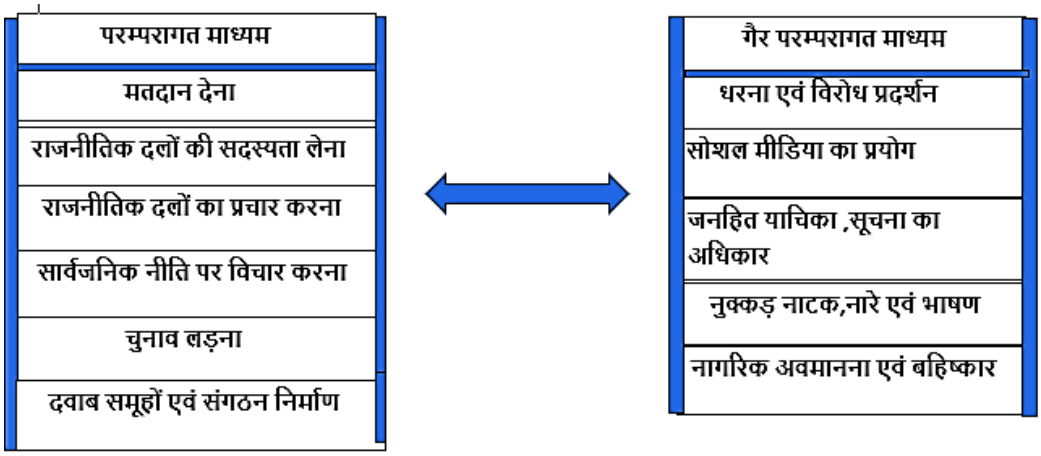

भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत पाई जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 21 करोड़ से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया जिसमें 18-19 की आयु के मतदान करने वाले युवाओं की संख्या 18.5 लाख है। चुनाव आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार 2019 लोकसभा के चुनाव में जहाँ 15 करोड़ मतदाता पंजीकृत हुए जो 18-19 वर्ष के मध्य थे वहीं 2024 में करीब 23.3 % की वृद्धि युवा मतदाता की दर्ज़ की गयी जिसमे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 21% और 23% की वृद्धि दर्ज की गयी। वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के अनुसार करीब 18-24 उम्र के 50% युवा राजनीति में रूचि रखता है। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा 2024 के चुनाव में करीब 22 करोड मतदाता 18 से 29 वर्ष के थे। इनमें से लगभग 1.82 करोड़ मतदाता प्रथम बार मतदान करने वाले थे जो 18 से 19 वर्ष के थे। इस तरह लोकसभा के प्रथम चुनाव से लेकर आज तक युवा मतदाताओं की लगातार वृद्धि उनकी राजनीतिक रूचि को दर्शाती है। भारत के कई राजनीतिक दल अपनी स्थानीय युवा इकाईओं के द्वारा युवाओं को सक्रिय राजनीति का स्तर प्रदान करते हैं जैसे बीजेपी की भारतीय युवा जनता मोर्चा,कांग्रेस की इंडियन यूथ कांग्रेस, वामपंथी युवा संग्थाओं की डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ़ इंडिया, समाजवादी दल की समाजवादी युवजन सभा, नेशनल कांग्रेस पार्टी की नेशनल यूथ कांग्रेस इत्यादि इन इकाईओं में हजारों युवा दलों की रैलियों एवं प्रचार कार्यक्रमों के द्वारा शाखाओं के विस्तार में योगदान देते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, नेशनल स्टूडेंट यूनियन फेडरेशन आदि छात्र संघ युवाओं को राजनीतिक निर्णयों के प्रति जागरूक करते हैं और युवा छात्र अपने अकादमिक स्तर से ही चुनावी राजनीति में भाग लेने का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं लोकसभा चुनाव 2024 पुष्पेन्द्र सरोज कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से सबसे युवा सांसद चुने गये। इसके अतिरिक्त भी प्रिया सरोज, रोहित पाटिल, शाम्भवी चौधरी, इकरा हसन, मैथिली ठाकुर, सागर इश्वर आदि ऐसे कई युवा सांसद एवं विधायक हैं जो युवा प्रतिनिधित्व के परिचायक हैं।

इतना ही नहीं भारत के युवाओं ने समय समय पर राजनीतिक निर्णयों एवं योजनाओं के प्रति प्रतिरोध एवं समर्थन भी दर्ज कराया है जिसके लिए उन्होंने सामाजिक वस्तुओं का बहिष्कार, सार्वजनिक सभाएं, आन्दोलन, रैली, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, एवं हडताल आदि माध्यमों का प्रयोग कर संगठित सहभागिता को दर्शाया है। उदाहरंस्वरूप देखें तो आजादी के बाद इसकी सर्वप्रथम झलक जेपी आन्दोलन में देखने को मिली जब हजारों संख्या में युवा बिहार में क्रांति हेतु एकजुट हुए थे। उसके बाद वर्तमान सदी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली आन्दोलन 2011, अग्निपथ योजना

विरोध 2022, जेएनयू विरोध प्रदर्शन 2019, यूजीसी का प्रमोशन ऑफ़ इक्विटी व अधिनियम 2026,नीट यू जी पेपर लीक प्रकरण 2024 एवं जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन 2026 आदि ऐसे कई आन्दोलन देखने को मिले जहाँ युवाओं ने नीतियों के विरुद्ध अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए आवाज उठाई जिसने नीतियों पर चिंतन को प्रोत्साहन दिया। हेनरी जेकिंस के अनुसार "डिजिटल मीडिया नागरिक को केवल सूचना का उपभोक्ता ही नही अपितु राजनीतिक संवाद का भागीदार बनाता है" वर्तमान में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 73.4% युवा एवं शहरी क्षेत्रों के लगभग 87.4% युवा सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालय आधारित अध्ययन के अनुसार करीब 64.5% युवाओं ने यह बताया की वे राजनीतिक पोस्ट को साझा करते हैं। 2022 के एक छात्र सर्वे में पाया गया की अधिकंश युवा छात्र सोशल मीडिया पर राजनीतिक खबरें पढ़ते हैं। 2022 में चीन के साथ गलवान घाटी संघर्ष होने पर तमाम युवाओं नें सोशल मीडिया पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार सम्बन्धी प्रचार अभियान चलाये और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भागीदारी दर्ज करायी। इसी तरह राजनीतिक नारे एवं भाषणों के द्वारा भी प्रेरणा एवं मनोबल वृद्धि करके युवा संगठित राजनीतिक प्रचार में अपना योगदान देते हैं। चुनाव से पूर्व घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसके लिए नुक्कड़ नाटक,प्रदर्शनी,कविताये, गीत एवं पोस्टर आदि का प्रयोग करते हैं एवं राजनीतिक आयोजन करते हैं इस तरह भारत में युवाओं की सक्रिय राजनीतिक अभिरुचि एवं सहभागिता देखने को मिलती है।

भारत में युवाओं की राजनीतिक अभिरुचि एवं सहभागिता के समक्ष चुनौतियाँ

वही युवाओं की राजनीतिक अभिरुचि के उदासीन पक्ष पर यदि प्रकाश डालें तो यह पता चलता हैं कि 1957 के आम चुनाव के बाद करीब 25- 40 आयु के के करीब 33.74% युवा सांसदों संसद में उपस्थित थे वहीं 2019 में यह आंकड़ा 11.97% रह गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से 19 वर्ष के 40 % से कम युवा मतदाताओं ने पंजीकरण कराया था। एक सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि 34.50% प्रतिवादी इंगित करते हैं कि वे राजनीति में शामिल होने में रूचि रखते हैं 24.10% उत्तरदाता यह संकेत करते हैं वे राजनीति में कम रूचि रखते है। वहीं 41.40%उत्तरदाताओं ने संकेत दिया कि वे राजनीति में बिलकुल भी रूचि नही रखता हैं। इस उदासीनता के प्रमुख कारण राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों की उदासीनता,अवसरंचनात्मक ढांचे का अभाव, राजनीतिक अराजकता, हिंसा, दलों की स्थानीय इकाई द्वारा हिंसा एवं असंवैधानिक कार्य,राजनीतिक शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव,राजनीति में प्रवेश हेतु स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का अभाव, राजनीतिक क्षेत्र में अनिश्चित्त भविष्य एवं बेरोजगारी जैसे कारक शामिल है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के शिक्षण संस्थानों में स्थानीय इकाई द्वारा होती हिंसक घटनाएं ने जैसे 2020 जेएनयू में अंतर्दलीय आक्रमण, वनारस विश्वविद्यालय में हुए छात्रा के शोषण प्रकरण उच्च शिक्षण संस्थानों के युवाओं में राजनीतिक उदासीनता के भाव को पैदा करती हैं।अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में विपरीत भारत में माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य राजनीतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम नहीं है जिससे युवाओं में राजनीतिक शिक्षा सीमित है।

राजनीतिक मंचों से उन सभी मुद्दों को नही उठाया जाता है जो युवा समुदाय को सीधे प्रभावित करते हैं अतः युवाओं की नीतियों के प्रति अभिरुचि पैदा नही होती तथा वे स्वयं को राजनीतिक प्रक्रिया के साथ अलगाव महसूस करते हैं। राजनीतिक परम्पराएं एवं रूढ़िवादी सोच जो राजनीतिक नेतृत्व के लिए अनुभवी एवं लोकप्रिय लोगों को वरीयता देने का समर्थन करती है साथ ही वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देती है। वह किसी युवा प्रतिनिधि को आगे आने से रोकती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन करती है जहां सभी उम्र के वर्ग को राजनीतिक अवसर मिलने चाहिए वहां राजनीतिक पद विशेष लोगों तक सीमित रह जाते हैं। आंकड़ों की वास्तविकता के बावजूद राजनीतिक क्षेत्र मे वृद्ध राजनेताओं का वर्चस्व है। वर्तमन लोकसभा में केवल 11 संसद 40वर्ष से कम आयु के है। कई भारतीय

परिवारों में राजनीति को उचित व्यवहार्य करियर विकल्प नही माना जाता है क्यूंकि यह माना जाता है कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा या व्यवसाय जैसे पारम्परिक करियर मार्गों में की तुलना में राजनीतिक में स्थिरता और सम्मान की कमी है। इसके अतिरिक्त संस्थागत समर्थन में कमी राजनीतिक दलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व वित्तीय असमर्थता युवाओं की राजनीतिक उदासीनता में वृद्धि करते है। इस तरह कई चुनौतियाँ युवाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करती हैं उन्हें राजनीतिक पटल से दूर रखती है।

युवाओं की सहभागिता में अभिवृद्धि हेतु सरकारी पहल

युवाओं की राजनीतिक भूमिका का महत्व इससे पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दल भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किये तथा युवा शाखा द्वारा मेरा पहला वोट देश के लिए, "नमो वारियर्स" जैसे अभियानों के माध्यम से करीब 50 युवा कार्यकमों एवं दल के अभियानों के द्वारा युवाओं के मध्य जागरूकता अभियान चलने के प्रयास किये। वहीं कांग्रेस ने "प्रॉमिस टू यूथ" एवं न्याय पत्र जैसे कार्यक्रमों के द्वारा घोषणा पत्रों में युवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 5000 करोड़ के वित्तीय सहायता के द्वारा युवाओं को स्टार्ट अप प्रारम्भ करने में सहयोग करने की घोषणा की। इसी तरह खेल मंत्रालय द्वारा "माय भारत इनिशिएटिव" की तरफ से "विकसित भारत यंग लीडर्स डायलोग कार्यक्रम" का आयोजन किया जाता है। युवाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढाने हेतु आवश्यक सुझावों की मांग "माय सरकार मंच" द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए युवा जैसे कार्यकमों में कई युवाओं ने डिजिटल मंच द्वारा सुझाव भी दिए जैसे युवा प्रतिभागी अरिंदम सरकार ने लिखा "छात्र राजनीति में राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगायें तथा चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उपस्थिति और अंकों के मानदंड लागू करें। इसी के साथ सभी विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र के भारतीय राजनीति, समाज शास्त्र राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा पर कक्षाएं शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे छात्रों में राजनीतिक चेतना का निर्माण होगा। एसोचेम के द्वारा जारी रिपोर्ट के द्वारा 2014 के संसदीय चुनाव पर जारी की गयी रिपोर्ट अनुसार, चुनावी विज्ञापनों पर राजनीतिक दलों के द्वारा 4000 -5000 करोड़ रुपये व्यय हुआ जिसमे 400-500 करोड़ रुपये डिजिटल मंचों पर व्यय किया गया जिसमे युवाओं को मताधिकार की अवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में "राष्ट्रीय सेवा योजना" एवं "नेहरु युवा केंद्र सगठन" द्वारा किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1966 से युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिस.2023 को विकसित भारत@2047 के विषय पर दिए गए के संबोधन में कहा कि "भारत आने वाले समय में एक 25 से 30 वर्ष की आयु के मध्य के युवा पीढ़ी के साथ विश्व की महान शक्ति बनकर उभरने वाला है। युवा शक्ति परिवर्तन की कार्यकर्ता होती है साथ ही परिवर्तन प्राप्त करने वाली भी होती है। इस शक्ति के साथ देश का प्रत्येक युवा विकसित भारत की बनाने हेतु एक कार्य योजना को विकसित करे और देश की नीति निर्णय में अपनी भूमिका निभाए इसमें देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं की भी युवाओं के साथ मिलकर भागीदारी निभाने में महान भूमिका निभाने में योगदान देंगे।" अतः ये आंकड़े दर्शाते हैं कि समयांतराल देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा छात्रों की राजनीतिक अभिरुचि को बढाने में कई माध्यम से प्रयास किये जा रहे है ताकि वे सक्रिय योगदान दे सके।

साहित्य समीक्षा

हेंस देकर (1991) ने अपने लेख में छात्रों की राजनीतिक सहभागिता को अभिवृद्ध करने में शिक्षण के महत्व को व्यक्त करते हुए लिखते हैं विद्यार्थी औपचारिक पाठ्यक्रम जो कि विद्यालय में पढाया जाता है उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी कक्षा में विकसित संस्कृति से विचार, अभिवृत्ति, राय, उद्देश्यों को आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं इस प्रकार का सीखने वाला वातावरण एक राजनीतिक संस्कृति को उत्पन्न करता है जो अंत में राष्ट्र के राजनीतिक

परिणामों को प्रभावित करती है।

प्रणय गुप्ते (2004) भारत में युवा नेतृत्व के विकास हेतु संस्था का विकास होना चाहिए जो कि औद्योगिक क्षेत्र द्वारा अनुदानित किया हुआ। राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित हो क्यूंकि भारत के राजनीतिक युवाओं को राजनीतिक सहभागिता हेतु कई अवसरों एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत के युवाओं को राजनीतिक गलियारे में बेहतर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।

रमण जी देर्फार्ड (2005) शिक्षा का कार्य छात्रों को समाज की भागीदारी के लिए तैयार करना है रोजगार समाज में एकीकरण के संकेतक के रूप में प्रासंगिक है लेकिन पर्याप्त नही है। श्रम बाजार एकीकरण के अलावा नागरिक जुड़ाव को युवा लोगों के सामाजिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

किवेटेयर (2007) राजनीतिक समाजीकरण के एजेंट समय के साथ राजनीतिक भागीदारी के प्रार म्भिक स्तर और विकास को प्रभावित करने हैं। साथियों और संस्थाओं की भागीदारी का प्रारंभिक स्तर और विकास के स्तर पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अधिक समाचार एवं इन्टरनेट का उपयोग आंशिक राजनीतिक भागीदारी की ओर ले जाता है युवा वर्ग और संस्थाकृत रूप से राजनीतिक सहभागिता करने हेतु प्रयास करता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2012) द्वारा प्रकाशित लेख में लिखा गया है प्रभावी एवं अर्थविषयक युवा राजनीतिक सहभागिता प्रमुख कारक है। यह परामर्शदात्री है। युवा मन में अपने स्थानीय युवा समुदायों के निर्णय को बनाने में तथा उसे प्रभावित करने में योगदान देता है। इसके परिणामस्वरूप युवा अन्ततः सामुदायिक सहभागिता में कार्य करना सीखते हैं। इसका सर्वोत्तम लाभ यह है कि युवा नियमित रूप से राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी रूप से योगदान देते हैं।

जी सुरेश बाबू (2013) नयी पीढ़ी की चुनावी मतदान में सहभागिता में अभिवृद्धि भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवहार्यता को तथा चुनावी प्रक्रिया को सफल बनाए में योगदान देती हैं। साथ ही राष्ट्र के अन्य सभी शेष लोगों को भी प्रेरणा देती हैं। युवा लोगों में बढती राजनीतिक सूचना की प्रवृत्ति राजनीतिक सम्मिलन को प्रभावित करती है। वे जिनके पास अधिक राजनीतिक सूचना है वे अधिक राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते है उनकी तुलना में जो कम है राजनीतिक सूचना प्राप्त करते हैं एवं कम राजनीतिक सहभागी होते हैं।

डॉ जगमोहन सिंह नेगी (2015) राजनीति एक सर्वव्यापी गतिविधि है जिसमें अभिरुचि की दृष्टि से व्यक्ति में अंतर होता है। रूचि, परिवर्त्यों,अभिकरणों, सिद्धांत पर निर्भर करती है। प्रजातान्त्रिक परिदृश्य में जैसे जैसे नयी पीढ़ी के नागरिक उभरते हैं वैसे वैसे पुरानी पीढ़ी के नागरिक मंच से हट जाते हैं। नए नागरिक नए दिशा निर्देशक बन जाते हैं लेकिन यह भी संभव है जब उनमें राजनीतिक अभिरुचि होती है।

डॉ विजय श्री (2018) राजनीतिक सहभागिता सीमित अर्थ वेधन करने वाली क्षमता है इसमें व्यक्ति का ऐसा राजनीतिक कर्म जो राजनीतिक व्यवस्था में निष्पादित होता है। यह नागरिकों के सामूहिकता में निष्पादित होने वाली गतिविधि नही है यह व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत से किया गया राजनीतिक कर्म है जो राजनीतिक व्यवस्था की परिधि में किया गया है राजनीतिक निर्णय का प्रभावक होता है।

अलका (2021) वे यह नही चाहते कि वे वयस्कों की तरह राजनीतिक भागीदारी करें। वे नए रास्ते खोज रहे हैं। पारम्परिक रूपों में अपनी राय व्यक्त करने के लिए आंशिक रूप में उनके प्रतिबंधित मतदान अधिकारों के कारण। क्यूंकि औपचारिक राजनीति के कारण उन्हें ये महसूस नही होता कि राजनीति उनके जीवन के लिए प्रासंगिक हैं।

उद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन में युवाओं की राजनीतिक अभिरुचि एवं सहभागिता का आकलन करना सुनिश्चित किया है

अध्ययन निम्नाकित उदेश्यों हैं -

- युवाओं की राजनीतिक सक्रियता के स्तर को जानने का प्रयास करना।
- युवाओं की राजनीतिक शिक्षा का मूल्याङ्कन करना।
- युवाओं की राजनीतिक सहभागिता के प्रति उदासीनता में निहित कारणों को जानना।
- युवाओं की राजनीतिक अभिरूचि का विकास करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त करना।

शोध पद्धति-

शोध पद्धति एक अध्ययन के लिए तथ्यों को खोजने और विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करती है कि प्रस्तावित शोध कार्य के अंतर्गत गुणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्य में वर्णात्मक विधि का प्रयोग किया गया है प्रस्तावित शोध कार्य में समंको के संकलन हेतु उचित द्वितीयक संसाधनों का प्रयोग किया गया है। शोध कार्य के द्वारा प्राप्त परिणाम वैध एवं विश्वसनीय है। प्रस्तुत तथ्य शोध के उद्देश्य को सम्बोधित करते हैं।

निष्कर्ष –

युवा वर्ग किसी भी क्षेत्र की लोकतान्त्रिक गतिशीलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा राष्ट्र की जनसंख्या का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कोई भी देश बिना युवा वर्ग की बहुमूल्य भागीदारी के बिना आगे बढ़ने की कल्पना नही कर सकता है चाहे वह भागीदारी का स्वरुप किसी भी क्षेत्र आर्थिक, सामजिक, नैतिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आदि का हो। ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र जो सभी क्षेत्रों की नीतियों को निर्धारित करने का काम करता है यदि वहां ही युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का अवसर ना मिले इससे बड़ी लोकतंत्र की हानि कुछ हो नही सकती है। क्यूंकि वे समाज के हर वर्ग की आवाज को लोकतांत्रिक पटल पर लाने की सम्भावना रखते हैं। वे जीवन की हर अवस्था का अनुभव रखते हैं और आने वाले भविष्य को सफल बनाने के लिए सर्वोत्तम नीतियों को लागू करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। शिक्षा,रोजगार, स्वास्थ्य, व्यवसाय, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा हर क्षेत्र उनकी जीवन की गतिशीलता को प्रभावित करता है। इसलिए इस देश का कोई भी समूह युवाओं से ज्यादा सार्वजनिक समस्यायों की गहराई को नही समझ सकता एवं उनके समान तकनीकीपूर्ण रणनीतिक निदान नही दे सकता है। यह कहने में अतिशयोक्ति नही होगी कि सम्पूर्ण समाज पर युवा वर्ग की छाया प्रभावी रहती है। यही कारण था कि हमारे देश के महापुरुषों ने युवाओं को संगठित होने के लिए उत्प्रेरित किया था। अतः वर्तमान युग में यूनिसेफ के दिए आंकड़ों के अनुसार भारत जैसा देश जो करीब 37.1 करोड़ की युवा आबादी रखता है वहां युवाओं की राजनीतिक अभिरुचि एवं सहभागिता में वृद्धि होनी चाहिए। वे अपनी गतिशील सोच एवं प्रगतिशीलता के कारण लोकतंत्र को विकास देने में योगदान देते हैं। उनकी नवाचारी विचारधारा किसी भी देश की प्रगति का महत्वपूर्ण निर्णायक होती है जिसका एक प्रमुख कारण उनकी अद्यतन ज्ञान संग्रह की प्रेरणा एवं परिवर्तन को स्वीकार करने की आमूलवादी धारणा है। वे किसी भी देश के बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राजनीतिक मंच पर बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। भारत का इतिहास गवाह है कि यहां युवा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी की सदैव ही लम्बी परंपरा रही है। विभिन्न युगों में उसके स्वरुप अलग अलग रहे हैं। ऋग्वैदिक से लेकर महाभारत काल तक,मौर्य युग से लेकर वर्धन काल तक एवं मध्यकालीन युग से लेकर आधुनिक काल तक युवा प्रतिनिधित्व ने देश के प्रगति एवं सुरक्षा में सदैव योगदान दिया है। ऐसे में वैश्वीकरण के इस युग में जहां दुनिया तीव्र गति से विकास के मापदंड पूरे कर रही हो वहां भारत को विकसित देश बनाने के लिए इस वर्ग की नवीन ऊर्जा की महती अवश्यकता है। यह मात्र

एक संवैधानिक मांग नही अपितु समावेशी लोकतंत्र की जरुरत है। जहां युवा वर्ग के नवीन विचार एवं धारणाएं देश की लोकतांत्रिक तस्वीर का निर्माण करने में योगदान दे सकती है।

सन्दर्भ सूची-

1. जौहरी जे सी (1986), तुलनात्मक राजनीति, दिल्ली : स्टर्लिंग प्रकाशन
2. जौहरी जे सी (2017), आधुनिक राजनीतक विज्ञान के सिद्धांत, दिल्ली : स्टर्लिंग प्रकाशन
3. फडिया बी एल (2022), समकालीन राजनीतक सिद्धांत, आगरा : साहित्य भवन प्रकाशन
4. जैन पुखराज (2022), राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा, आगरा : साहित्य भवन प्रकाशन
5. सिंघल एस सी (2004), तुलनात्मक राजनीति, आगरा : लक्ष्मीनारायण प्रकाशन
6. एलिजाबेथ फ्रेंक (1956), द चाइल्ड वर्ल्ड चैप्टर, न्यूयार्क 3-8
7. रोजिंबर्ग मोरिस (1954), सम टर्मिन्ट्स आफ पोलिटिकल एपेथी इन पब्लिक ओपिनियन क्वार्टरली
8. डॉ नेगी (2015), महाविद्यालयी छात्रों की राजनीतिक अभिरूचि, आर्यावर्त शोध विकास पत्रिका
9. दधिची नरेश (2015) समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, जयपुर : रावत प्रकाशन
10. भार्गव राजीव (2018) राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, नोएडा : पीयर्सन प्रकाशन
11. नायडू श्रीपति (2018), रोल ऑफ़ यूथ इन मोडर्न पॉलिटिक्स
12. प्रसाद अभय ,मुरारी कृष्ण (2019) भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, हैदराबाद : ओरियन्ट ब्लैकस्वान
13. डेथ जान द्व्ल्यु वान (2014), अ कोन्सेप्चुअल मेंप ऑफ़ पोलिटिकल पार्टिसिपेशन, मेंन्हीएम यूनिवर्सिटी
14. गुप्ता राजेश (2019) ,भारतीय राजनीति में युवा वर्ग की भूमिका
15. क्लिंतेयर एलन (2007) ,किशोरों को राजनीति में शामिल करना राजनीतिक समाजीकरण एजेंटो का दीर्घकालिक प्रभाव
16. अलका (2021) ,भारतीय राजनीति में युवा वर्ग की भूमिका
17. गर्ग विजय (2018),राजनतिक सहभागिता अवधारणा एवं परिप्रेक्ष्य
18. डेकर हेंस (1991), राजनीतिक समाजीकरण सिद्धांत एवं शोध ओदेल्बेर्ग पब्लिकेशन
19. गुप्ते प्रणय (2004), वेयर आर यूथ इन इंडियन पोलिटिक्स
20. बाबू सुरेश (2013), पोलिटिकल पार्टिसिपेशन आफ यूथ एंड रोल ऑफ़ मास मीडिया